

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज,

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

(भू-अर्जन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस)

परियोजना का नाम :- किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन।

अभिलेख संख्या :- 07/2010-11

प्रेषित,

श्री संदीप दास,
पिता- स्व. असीत दास,
साकिन- डे-मार्केट,
अंचल- किशनगंज,
जिला- किशनगंज।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा-डुमरिया, थाना नं०-111 में किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु कम्पेन्स रकवा 1.61 एयर अर्थात् 3.976 डिसेमल भूमि का भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसके मुआवजा भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-37(2) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस आपके नाम से निर्गत की गई है, जिसका तामिला भी आपको कराया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया है, फलतः मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधिग्रहित भूमि से संबंधित कागजात यथा अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि आपको मुआवजा भुगतान किया जा सके। उक्त अवधि के भीतर अगर आपके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये समझा जायेगा कि आपको मुआवजे की राशि लेने में कोई अभिरुची नहीं है, तदनुसार भूमि अधियाची विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायेगी एवं आपसे संबंधित मुआवजे की राशि कोषागार में जमा करा दी जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| मौजा का नाम / थाना नं. | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (अर्ज. में) |
|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| डुमरिया / 111 | 02 | 126 क | 1.383 |

समाहर्ता (भू अर्जन अधिनियम के तहत)
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज,

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

(भू-अर्जन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस)

परियोजना का नाम :- किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन।

अभिलेख संख्या :- 07/2010-11

प्रेषित,

श्री पवन अग्रवाल,
पिता- श्री रतन अग्रवाल,
साकिन- डे-मार्केट,
अंचल- किशनगंज,
जिला- किशनगंज।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा-डुगरिया, थाना नं०-111 में किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु कम्पेश रकवा 1.61 एयर अर्थात् 3.976 डिसीमल भूमि का भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसके मुआवजा भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-37(2) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस आपके नाम से निर्गत की गई है, जिसका तामिला भी आपको कराया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया है, फलतः मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधिग्रहित भूमि से संबंधित कागजात यथा अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि आपको मुआवजा भुगतान किया जा सके। उक्त अवधि के भीतर अगर आपके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये समझा जायेगा कि आपको मुआवजे की राशि लेने में कोई अभिरुची नहीं है, तदनुसार भूमि अधियाची विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायेगी एवं आपसे संबंधित मुआवजे की राशि कोषागार में जमा करा दी जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| मौजा का नाम / थाना नं. | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (३१०/१११) (३१०/१११) में |
|------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| डुगरिया/111 | 02 | 126 क | 0.617 |

समाहर्ता (भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज,

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

(भू-अर्जन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस)

परियोजना का नाम :- किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन।

अभिलेख संख्या :- 07 / 2010-11

प्रेषित,

श्रीमती भगवती देवी,
पिता- श्री रतन अग्रवाल,
साकिन- डुमरिया,
अंचल- किशनगंज,
जिला- किशनगंज।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा-डुमरिया, थाना नं०-111 में किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु कमोवेश रकवा 1.61 एयर अर्थात् 3.976 डिस्मीमल भूमि का भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसके मुआवजा भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-37(2) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस आपके नाम से निर्गत की गई है, जिसका तामिला भी आपको कराया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया है, फलतः मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधिग्रहित भूमि से संबंधित कागजात यथा अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराये, तकि आपको मुआवजा भुगतान किया जा सके। उक्त अवधि के भीतर अगर आपके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये समझा जायेगा कि आपको मुआवजे की राशि लेने में कोई अभिरुची नहीं है, तदनुसार भूमि अधियाची विभाग को हस्त-न्तरित कर दी जायेगी एवं आपसे संबंधित मुआवजे की राशि कोषागार में जमा करा दी जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| मौजा का नाग / थाना नं. | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (315 में) |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| डुमरिया / 111 | 17 | 21 | 0.914 |
| | 23 | 128 | |

समाहर्ता (भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज,

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

(भू-अर्जन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस)

परियोजना का नाम :- किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन।

अभिलेख संख्या :- 07/2010-11

प्रेषित,

श्री गजानन दास,
पिता- स्व० सुरेशनाथ दास,
साकिन- डे-मार्केट,
अंचल- किशनगंज,
जिला- किशनगंज।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा-डुमरिया, थाना नं०-111 में किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु कमोबेश रकवा 1.61 एयर अर्थात् 3.976 डिसीमल भूमि का भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसके मुआवजा भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-37(2) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस आपके नाम से निर्गत की गई है, जिसका तामिला भी आपको कराया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया है, फलतः मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधिग्रहित भूमि से संबंधित कागजात यथा अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि आपको मुआवजा भुगतान किया जा सके। उक्त अवधि के भीतर अगर आपके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये समझा जायेगा कि आपको मुआवजे की राशि लेने में कोई अभिरुची नहीं है, तदनुसार भूमि अधियाची विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायेगी एवं आपसे संबंधित मुआवजे की राशि कोषागार में जमा करा दी जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| मौजा का नाम / थाना नं. | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (सख्त में) |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| डुमरिया / 111 | 04 | 22 25 | 0.667 |

समाहर्ता (भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।

स मा ह र णा ल यं, कि श न गं ज,

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

(भू-अर्जन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत नोटिस)

परियोजना का नाम :- किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन।

अभिलेख संख्या :- 07/2010-11

प्रेषित,

श्री रवि गुप्ता,
पिता- श्री मनोहर गुप्ता,
साकिन- डे-मार्केट,
अंचल- किशनगंज,
जिला- किशनगंज।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा-डुमरिया, थाना नं०-111 में किशनगंज-हटवार रेलवे उपरी पुल-एस. के. 315 के पहुँच पथ हेतु कमोबेश रकवा 1.61 एयर अर्थात् 3.976 डिसेमल भूमि का भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसके मुआवजा भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-37(2) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस आपके नाम से निर्गत की गई है, जिसका तामिला भी आपको कराया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया है, फलतः मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधिग्रहित भूमि से संबंधित कागजात यथा अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि आपको मुआवजा भुगतान किया जा सके। उक्त अवधि के भीतर अगर आपके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ये समझा जायेगा कि आपको मुआवजे की राशि लेने में कोई अभिरुची नहीं है, तदनुसार भूमि अधियाची विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायेगी एवं आपसे संबंधित मुआवजे की राशि कोषागार में जमा करा दी जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| मौजा का नाम / थाना नं. | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (एयर में) |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| डुमरिया / 111 | 12 | 26 | 0.395 |

समाहर्ता (भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।